हिन्दुस्तान, गुरूवार, 25 मार्च 2010, नई दिल्ली

'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने को बने सख्त कानून'

'कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न से बचाव' विषय पर सेमिनार आयोजित

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली

यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाएं अल्सर, अनिद्रा, सिरदर्द, उच्च रक्त चाप, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। ये बात सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए) के 'कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न से बचाव' विषय पर आयोजित सेमिनार में कही गई। सेमिनार में कहा गया कि कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यौन उत्पीड़न चिंता की बात है। प्रतिभागियों ने महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाए जाने वाले बिल को प्रभावी किए जाने की मांग की।

पीआरआईए की डायरेक्टर मार्था फैरल ने कहा कि महिलाओं को शारीरिक उत्पीड़न से बचाए जाने के लिए नियम बनाए जाने की जरूरत है। बिल के बारे में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशक एम.आर. मोहंती ने कहा कि एक महिला जो अपने कार्यस्थल में काम करने को आती है उसे सुरक्षा प्रदान करना उसका अधिकार है ऐसे में नियमों को सख्त बनाए जाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो कि झूठे मामले दायर करते हैं। बिल का दुरूपयोग न हो इसका ख्याल रखना काफी जरूरी है।